(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण/वादीगण	बनाम	विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
कानसिंह पुत्र पूरसिंह जाति राजपुत, निवासी राणेजी की बस्ती तहसील शिव, ज़िला बाड़मेर वगैरा (02)		लालसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपुत, निवासी राणेजी की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (78)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (212)

मुकदमा नम्बर 108/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख़ अहकाम. जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.05.2022	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत मौजा तालों का पार, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1189, 1226, 1225, 1075, 1060, 1076 रकबा क्रमशः 49.1126, 88.5936, 38.5665, 2.7438, 2.9461, 16.8996 हैक्टेयर व मौजा जालीला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 301, 305 रकबा क्रमशः 9.4292, 1.7887 हैक्टेयर तथा मौजा तालों का गांव, तहसील शिव के खसर नम्बर 1177 रकबा 1.3436 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने से हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के दादा स्व0 पृथ्वीराजसिंह की खुदकाश्त भूमि थी। स्व0 पृथ्वीराजसिंह का वक्त सेटलमेंट से पूर्व देहांत होने के कारण उनके विधिक वारिसान तीनों पुत्रों विजयसिंह, कुम्पसिंह व पूरसिंह के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज होने थे और पर्चा लगान भी इन्ही तीनों के नाम से जारी होना था, किन्तु विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता विजयसिंह द्वारा परिवार में सबसे बड़े सदस्य होने का अनुचित फायदा उठाकर संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि का पर्चा लगान अकेले अपने नाम से जारी करवा दिया, जबकि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के वालिदों का भी बराबर हक हिस्सा था। अतः उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण का हक हिस्सा होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 1 से 5 विवादित आराजी का अन्य को बैचान या अन्य विधि से खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 से 5 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वे अपने पुश्तैनी हक हिस्सा से महरूम रह जायेंगे। अतः समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से श्रीमांन जी से निवेदन है कि अतः समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध विवादित आराजी में प्रार्थीगण के हक हिस्सा में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने तथा [illegible] कब्जा काश्त से बेंदखल नहीं करने व विवादित आराजी का [illegible] विधि से बैचान/हस्तांतरण/दान/लीज आदि [illegible] भूमि खुर्द बुर्द नहीं करने व वर्तमान [illegible] की [illegible] बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि :– (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किया जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (Alienated) के खतरे में है, या	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (...) शिव

29.08.25

पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित।
पत्रावली मे उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03.09.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

03.09.25

पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित।
पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी जा चुकी है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थिया की पैतृक भूमि है। जो पूर्व पुरुष पृथ्वीराजसिंह की खुदकाश्त भूमि थी, जिसमें उसके पुत्रों का बराबर हक हिस्सा निहित है। किन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर विप्रार्थिया उक्त विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा होने से माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 18.05.2022 से प्रार्थीगण के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है, जिसे ताफेसला वाद कन्फर्म किया जावें।

विप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी वक्त सेटलमेंट से ही खुदकाश्त [illegible] से अलग भू प्रबंध होने से प्रकरण [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थिया का [illegible] आराजी में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है तथा न ही मौके पर कोई कब्जा काश्त है। विवादित

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी के केवल विप्रार्थीगण ही खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पैतृक होने का मिथ्या करते हुए एकपक्षीय स्थगन लिया है जबकि यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस खसरा नम्बर में प्रार्थीगण का कितना खातेदारी हिस्सा बनता है। विप्रार्थीगण स्वंय खुदकाश्त जारीदार थे तथा पर्चा लगान भी ~~कि~~ उसी हिसाब से जारी हुआ। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण बन्दोबस्त सेटलमेंट से पूर्व ही अलग-अलग रहते थे प्रार्थीगण स्वंय के अन्य खुदकाश्त खसरे है जिसका विवरण प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर नहीं दिया गया है। विप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस के समर्थन में नजीर भी पेश की गई। अंततः निवेदन किया कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकॉर्ड खातेदार नहीं होने मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं होने से विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन ही नहीं बनता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी व मनन किया ... पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया ... बंदोबस्त के अवलोकन से ... विवादित आराजी खुदकाश्त होने से उसी आधार पर्चा लगान जारी हुआ। विवादित आराजी के खसरा नम्बर 301, 305 में विप्रार्थी खातेदार ही नहीं है तो इन खसरों में विप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थिया द्वारा उक्त वाद में स्वयं की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर के तथ्य छुपाये गये है। विप्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा पेश नजीर 2005 (2) RR 1778 अनुसार भी निषेधाज्ञा लागु नहीं होती चूंकि उक्त प्रकरण में भूमि खरीदी गई थी व सहखातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रार्थिया द्वारा वादग्रस्त आराजी में स्वयं का कितना हिस्सा बनता है, के संबंध में विवरण छुपाया गया है। अतः उपरोक्त अनुसार प्रार्थिया विवादित आराजी के रेकर्ड खातेदार नहीं होने, मौके पर काबिज काश्त नहीं होने, विवादित आराजी सेटलमेंट से विप्रार्थिया के नाम खुदकाश्त दर्ज होने तथा दस्तावेज के आधार पर विवादित आराजी प्रार्थिया की पैतृक सम्पत्ति साबित नहीं होने से प्रार्थिया विवादित आराजी में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है तथा न ही अस्थाई निषेधाज्ञा के सिद्धांत लागु हो रहे है। उक्त स्थिति में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:55:22 IST
Reason: SelfAttested